दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली

रि. या. (सि) 16312/2023

सूबेदार सिंह ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: डॉ. के. एस. भाटी, श्री करण सिंह और श्री कार्तिक बर्मन, अधिवक्तागण

बनाम

सहकारी समिति एवं अन्य का पंजीकरण .....उत्तरदाता

द्वारा : कोई नही

निर्णय तिथि : 29 जनवरी, 2024

कोरमः
माननीय मुख्य कार्यवाहक न्यायधीश
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

1. वर्तमान याचिका प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात, पंजीयक सहकारी समिति, दिल्ली ('आर. सी. एस.') और प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात चोपड़ा सी. जी. एच. एस. सोसायटी लिमिटेड ('सोसायटी') के प्रशासक को उक्त सोसायटी में चुनाव कराने हेतु निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है। ।

2. याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्यों में से एक है और फ्लैट नं. 322 के आवंटी हैं ।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि वर्तमान याचिका दायर करने के बाद, चुनाव 4 फरवरी, 2024 के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, उक्त प्रगति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचना 'ए' और 'बी' संतुष्ट हैं।

4. हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वह प्रशासक द्वारा 7 अगस्त, 2023 को जारी किए गए मांग नोटिस ('मांग नोटिस') को वापस लेने के लिए प्रार्थना 'सी' और 'डी' के लिए दबाव डाल रहे हैं।उनका कहना है कि प्रशासक को ठेकेदार यानी मैसर्स एस. पी. रेपकोन के पक्ष में पारित दिनांक 28.09.2016 के आदेश के निपटान की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

5. हमने प्रशासक द्वारा 7 अगस्त, 2023 को जारी की गई मांग सूचना का अवलोकन किया है, जिसमें सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को 25, 000/-, रुपये की राशि का भुगतान 25 अगस्त, 2023 को या उससे पहले, करने के लिए कहा गया है जिससे कि मैसर्स एस. पी. रेपकोन के पक्ष में पारित निर्णय के आदेश को पूरा हो , जो जिला न्यायालय, द्वारका के समक्ष दायर निष्पादन याचिका में कार्यान्वयन के लिए लंबित है । यह मान्य है कि

अधिनिर्णय सोसायटी के खिलाफ और मेसर्स एस. पी. रेपकोन के पक्ष में पारित किया गया है जिसके तहत कुल 14,84,757-7 रुपये की मूलधन राशि 9 प्रतिशत ब्याज की देयता के साथ अक्टूबर, 2010 से 28 सितंबर, 2016 की अवधि तक के लिए तथा 18 प्रतिशत दर से ब्याज 28 सितंबर, 2016 से भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए देय है । हालाँकि उक्त अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है, लेकिन संबंधित न्यायालय द्वारा सोसायटी के पक्ष में कोई रोक नहीं लगाई गई है। डिक्री धारक ने एक निष्पादन याचिका दायर की है और यह उक्त निष्पादन कार्यवाही विचाराधीन है, प्रशासक ने प्रत्येक सदस्य से 25, 000/- रुपये की राशि जुटाने को कहा है, ताकि 31,87,875-रूपये की राशि प्राप्त किया जा सके ।प्रशासक ने मांग सूचना में दर्ज किया है कि डिक्री धारक के साथ समझौता करने के लिए उपरोक्त राशि को 18 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर रखा जाता है। उन्होंने दर्ज किया है कि पूर्ववर्ती प्रबंधन समिति ने वर्ष 2016 में निर्णय के पारित होने के बाद उत्पन्न देयता के लिए अपनी बैलेंस शीट में कोई राशि अलग नहीं रखी है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 7 अगस्त, 2023 के मांग नोटिस में दिए गए तथ्यों पर विवाद नहीं किया है। वह इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ('1996 का अधिनियम') की धारा 34 के तहत दायर आपत्ति याचिका में निर्णय पर कोई रोक नहीं है या

यह कि रुपये 40,92,519-5 जुलाई, 2023 को निर्णय के तहत बकाया और देय है । वह इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि छुट याचिका लंबित है और द्वारका उपस्थित कार्यवाहक न्यायालय ने उसमें निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि हालांकि, डिक्री धारक के साथ मामले को निपटाने का निर्णय प्रशासक द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए और उन्हें प्रबंध समिति के चुनाव का इंतजार करना चाहिए।

7. आर. सी. एस. द्वारा नियुक्त प्रशासक को दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 ('डी. सी. एस. अधिनियम') की धारा 37 (3) के तहत प्रबंध समिति के सभी कार्यों को करने और सभी कार्रवाई करने का अधिकार है, जो सहकारी समिति के हित में किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, प्रशासक द्वारा डिक्री धारक के साथ मामले को निपटाने का निर्णय प्रशासक के अधिकार क्षेत्र में था। अधिनिर्णय के तहत मौद्रिक देयता के अस्तित्व के संबंध में कोई विवाद नहीं है और प्रशासक ने ब्याज देयता को 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करने के लिए बातचीत करके नेक इरादे से काम किया है। इस मामले के स्वीकृत तथ्यों में, जैसा कि विवादित मांग नोटिस में दर्ज किया गया है, प्रशासक का निर्णय निष्पादन याचिका में लंबित कानूनी कार्यवाही की अनिवार्यताओं के कारण मजबूर था। याचिकाकर्ता वर्तमान रिट कार्यवाही में मांग नोटिस के निषेधाज्ञा की मांग करके निष्पादन कार्यवाही के अनुपालन या अधिनिर्णय के कार्यान्वयन में बाधा नहीं डाल सकता है।

अधिनिर्णय पर रोक लगाने का उचित उपाय केवल न्यायालय के समक्ष है, जो 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका पर सुनवाई किया जा रहा है।

8. तदनुसार, यह न्यायालय प्रार्थना 'ग' और 'घ' में मांगी गई राहतों में कोई गुणवता नहीं पाता है और लंबित आवेदनों के साथ वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, न्या.

29 जनवरी, 2024/आरएचसी/एए

शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, की जाँच करने के लिए यहाँ क्लिक करें

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*